

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,  
विकास आयुक्त का कार्यालय,  
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई:-400096

दूरभाष सं. 022-28294799 फ़ैक्स: 022-28291754/1385

ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in वेबसाईट:www.seepz.org

फा.सं.सीपज़-सेज/सुरक्षा/वि.वि./29/2016-17/पार्ट फाईल/14872 दि. 30 मई 2018

सूचना

विषय :- दो पहिया / चार पहिया वैध वाहन पास धारक कर्मचारियों को द्वारा संख्या - 2 से  
समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक प्रवेश/निकास अनुमती के संबंध में।

द्वार संख्या-1 के बाहरी बाजू का मेट्रो निर्माण का काम शुरू होने से सीपज़-सेज के सभी  
युनिट कर्मचारियों को दो पहिया / चार पहिया वैध वाहन से प्रवेश / निकास करने से होनेवाली  
असुविधा को मदे नजर रखते हुए उनका प्रवेश सरल सुरक्षित होने हेतु सभी युनिटों के दो पहिया  
/ चार पहिया वैध वाहन पास धारक कर्मचारियों को द्वारा संख्या-2 से समय सुबह 7.30 बजे से  
दोपहर 12.30 बजे तक प्रवेश / निकास की अनुमती दी जाती है।

इसकी कालावधी एक माह दिनांक 01-06-2018 से 30-06-2018 तक वैध रहेगी।  
इसे मा.विकास आयुक्त महोदय,सीपज़-सेज का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(विजय नरे)

सहा. सुरक्षा अधिकारी  
सीपज़-सेज

प्रतिलिपी,

4. सुरक्षा अनुभाग,
5. आयटी अनुभाग सीपज़-सेज वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. आउटलुक